जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अ०-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/डि० 610 दिनांक : 20-6-2002

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शनो को निगम के किसी भी विद्युतिकृत गांव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में ।

पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा 18 में कृषि कनेक्शन को उसी गांव अथवा साथ के गांव मे स्थानान्तरित करने बाबत प्रावधान है । इस संबन्ध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 मे राज्य के कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

Correction made on p.. REO 24 dt 22.6.2002

1. यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वहीं रखना उपभोक्ता के वश मे नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतिकृत गांव मे मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकता है । यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं कुआं खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लीज पर आवंटन होने पर ही कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सकेगा ।

2. कुआं सूख जाने की स्थिति मे एक स्थान से कनेक्शन दूसरे स्थान पर वर्तमान उपभोक्ता के पिता, पति, पत्नि, माता, भाई, बहन, बेटे, बेटी के नाम से जमीन में उसी टैरिफ श्रेणी मे मीटर्ड प्रणाली से शिफ्ट किया जा सकता है जिसके लिये वर्तमान उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की सहमति आवश्यक है ।

3. अभी यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन मात्र कृषि भूमि पर ही देय है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मे जिन कृषकों के खेत में कुआं सूख जाने अथवा पानी खराब होने के कारण कुआं अपने जमीन के पास स्थित आबादी भूमि (बाड़ा इत्यादि) मे खुदवाकर कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते है, उन्हें कृषि कनेक्शन इस भूमि में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी मे शिफ्ट किया जा सकता है ।

4. उपरोक्त सभी कनेक्शनों को शिफ्ट करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुआं सूखा है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से संबधित ग्राम पंचायत का सरपंच, हल्का पटवारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जारी किया हुआ हो । साथ ही सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि पूर्व कुओं के लिये खींची गई अनुपयोगी एच.टी./एल.टी लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि हटा (DISMANTLE) कर स्टोर मे जमा कर दिये गये है । इस प्रक्रिया के पश्चात् ही संबधित अधिशाषी अभियन्ता इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

5. यदि कनेक्शन एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में स्थानान्तरित किया जाना है [illegible] रसा में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की फाइल की पत्रावली उसी उपखण्ड [illegible] कार्यवाही होगी जहाँ पर कनेक्शन को स्थानान्तरित किया जाना है । इस दशा में [illegible] फाइल को भेजा जा[illegible] खर्चे का तकमीना बनाकर पूर्व उपखण्ड में कार्यवाही के लिये फाइल [illegible] जमा करवाकर एच.टी/एल.टी तथा पूर्व उपखण्ड में उपभोक्ता को सम्पूर्ण बकाया राशि [illegible] उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर पुरानी पत्राव[illegible] लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि को एवं उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर तकमीना नये कनेक्शन [illegible] सहित नये उपखण्ड में भेज दिया जायेगा । नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन [illegible] [illegible] प्रणाली से बनाया जायेगा कनेक्शन का नये स्थान पर लोड [illegible] [illegible] कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से पूर्व [illegible] अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृ[illegible] [illegible] । इसके पश्चात् ही अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृ[illegible] [illegible] कनेक्शन मीटर प्रणाली में चालू कर दिया जावे ।

[illegible] प्रभाव से लागू होंगे ।

(एम०एल०[illegible])

[illegible]

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

[illegible] हेतु प्रेषित है :-

1. [illegible]
2. [illegible] जोधपुर / [illegible] ।
3. [illegible] जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4. उप-मुख्य अभियन्ता [illegible] जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5. उप-मुख्य अभियन्ता [illegible] ।
6. अधीक्षण अभियन्ता [illegible] बीएण्डएस), जोधपुर डिस्कॉम, [illegible] जोधपुर डिस्कॉम, [illegible] ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, [illegible] जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
8. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, [illegible] जयपुर ।
9. उप-अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
10. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (पी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11. अधिशाषी अभियन्ता (विधि/एम.आई.एस/आन्तरिक अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
12. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/पावित), जोधपुर डिस्कॉम,---------- को इसके अधीनस्थ सभी सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित ।
13. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अवलोकनार्थ ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
15. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

(ए०एम०लोढ़ा)

अधीक्षण अभियन्ता (पीपीएण्डएम)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।